बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कार्यालय - होशंगाबाद मार्ग, भोपाल - 462 026

क्रमांक : 394 / परीक्षा / 18

भोपाल, दिनांक : 18/9/2018

अधिसूचना

विषयः—सत्र 2018—19 **नियमित** विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय में ऑन लाईन नामांकन/ पंजीयन ।

सत्र 2018—19 में MP ONLINE के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेशित स्नातक/स्नातकोत्तर वार्षिक एवं सेमेस्टर प्रणाली एवं विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक विभागों में प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन/पंजीयन की निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जाती है:—

विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय में ऑन लाईन नामांकन कराने हेतु वि.वि.अध्यादेश 8 के प्रावधान अनुसार निम्नांकित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए :—

01. स्नाताक/स्नातकोत्तर संकाय में सम्मिलित होने वाले छात्रों का महाविद्यालयों द्वारा पंजीयन/नामांकन आवेदन पत्र ऑन लाईन करके ऑनलाईन प्रिंट आउट संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अग्रेषित होने के उपरान्त विश्वविद्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि **30/09/2018** है । अन्तिम तिथि **30/09/2018** के पश्चात विशेष परिस्थितियों में प्राचार्य की अनुशंसा पर कुलपति जी की विशेष अनुमति से विलम्ब शुल्क रू.165/— सहित के साथ नियमानुसार दिनांक **30/10/2018** तक आवेदन पत्र स्वीकार किए जा सकेगें।
02. महाविद्यालय विद्यार्थियों से नामांकन आवेदन पत्रों की 10वी.एवं 12वीं. अंकसूची के आधार पर ऑन लाईन पूर्तियां करके निर्धारित शुल्क,विलम्ब शुल्क आव्रजन शुल्क (यदि देय हो), आर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रबजन प्रमाणपत्र आदि नियमानुसार अनिवार्य रूप से नामांकन आवेदन पत्र के साथ संलग्न कराना सुनिश्चित करें।
03. जिन विद्यार्थियों ने मध्यप्रदेश के शिक्षामण्डल इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त राज्य स्थित अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय से आर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें नामांकन आवेदन पत्र के साथ **मूल प्रवजन प्रमाण पत्र** (Migration Certificate) संलग्न करना अनिवार्य है।
04. जिन विद्यार्थियों ने मध्यप्रदेश के बाहर के शिक्षा मण्डल विश्वविद्यालय से आर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हे नामांकन/पंजीयन आवेदन पत्र के साथ **मूल प्रवजन प्रमाण पत्र** (Migration Certificate) अनिवार्यतः संलग्न करने के साथ ही आव्रजन शुल्क रू.165/— भी देय होगा।
05. **विद्यार्थी यह विशेष ध्यान रखें कि जिस महाविद्यालय में प्रवेश लिया है उसी प्रवेशित महाविद्यालय द्वारा ऑन लाईन नामांकन आवेदन पत्र भरे जाएगें ।**
06. नामांकन आवेदन पत्रों के प्रिंट आउट में निर्धारित स्थान पर प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।प्राचार्य के हस्ताक्षर न होने से उसे यह माना जाएगा कि छात्र/छात्रा द्वारा संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है। पंजीयन/नामांकन आवेदन पत्र जमा करते समय प्रिंट आउट की प्रति विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है। (ऑन लाईन फार्म भरने के पश्चात प्रत्येक छात्र के प्रिंट आउट के साथ अंकसूची,माईग्रेशन,इत्यादी संलग्न कर वेरिफिकेशन के लिए जमा करना है)

निरंतर :—2

07. पंजीयन/नामांकन शुल्क का विवरण :— ऑन लाईन भुगतान करना अनिवार्य है एवं प्रत्येक छात्र को पोर्टल शुल्क रू. 25/— निर्धारित जी.एस.टी. अलग से देय होगा।

08. नोटः—नियमित नामांकन फार्म भरने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए प्रवेश में दिए गए **Application ID** से ही नामांकन फार्म भरें जा सकेगें, अन्यथा नामांकन फार्म नहीं खुलेगें जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

09. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं, शैक्षणिक विभागों द्वारा प्रवेशित छात्रों के पंजीयन/नामांकन फार्म एवं पंजीयन/नामांकन शुल्क एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड के पोर्टल www.mponline.gov.in के माध्यम से भरे जाएंगें।

10. वि.वि.सम्बद्ध शैक्षणिक विभागों तथा शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्रों के फार्म ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है। जिन छात्रों के ऑनलाईन फार्म नहीं भरे जावेगें उनका पंजीयन/नामांकन नहीं होगा। ऑनलाईन फार्म जमा करने के पश्चात संबंधित शैक्षणिक विभाग/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय के नामांकन विभाग में ऑनलाईन भरे गये,फार्म का प्रिंट एवं भुगतान नामांकन फार्म के साथ लगाना अनिवार्य है।

11. समस्त संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यो का दायित्व है कि छात्रों के पात्रता एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजों की भली—भांति जॉच करके ही पात्र छात्रों को ही प्रवेश दें तथा सत्य जानकारी ही नामांकन फार्म में भरना सुनिश्चित करें। **तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में स्थानांतरित छात्रों के लिए नामांकन फार्म महाविद्यालय द्वारा भरें जाएगें जिसकी तिथि यथावत रहेगी।**

12. नामांकन फार्म में वांछित सभी प्रविष्टियां सही भरी जावें और कोई भी कॉलम रिक्त न छोड़े। छात्र का नवीनतम फोटो एवं संबंधित अभ्यार्थी के हस्ताक्षर ऑनलाईन फार्म में अपलोड किए जावें। विद्यार्थी का पात्रता **अंकसूची में मुद्रित छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि नाम दसवीं, बारहवी अंकसूची अनुसार ही भरे जाए।** छात्र इसकी स्वयं भी जॉच करने का कष्ट करें जिससे गलती की संभावना न रहें। नामांकन की अंतिम दिनांक **30/09/2018** तक जमा कराए गए समस्त नामांकन ऑनलाईन फार्म भरने के उपरांत ऑनलाईन पेमेन्ट जमा करने के पूर्व सभी प्रविष्टियां एवं फोटो चैक की जावें एवं यदि कोई त्रुटि हो तो सुधार कर लिया जावे। समस्त प्रविष्टियां चैक करने के उपरांत ही ऑनलाईन पंजीयन/नामांकन फार्म जमा किया जावे। ऑनलाईन पंजीयन/नामांकन फार्म जमा प्रक्रिया में केवल भुगतान हो चुके (जिनका Transaction I.D एवं Code जनरेट हुआ है) पंजीयन/नामांकन फार्म ही जमा माने जाएँगें एवं उनका पंजीयन/नामांकन किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/पुष्टि उपरांत ही पंजीयन/नामांकन क्रमांक को स्वीकृत किया जा सकेगा। अगर यह स्वीकृति नहीं होगी तो विद्यार्थी का परीक्षा फार्म नहीं भरा जा सकेगा। जिसका उत्तरदायित्व महाविद्यालय एवं छात्र का होगा।

13. ऑनलाईन नामांकन फार्म जमा करने के पश्चात प्रत्येक पंजीयन/नामांकन फार्म के प्रिंट आउट को प्राचार्य द्वारा निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित करवाकर, इन प्रिंट आउट के साथ सभी आवश्यक प्रमाणपत्र/दस्तावेज नामांकन की अंतिम दिनांक **30/09/2018** तक नामांकन फार्म विश्वविद्यालय के नामांकन विभाग में महाविद्यालय द्वारा जमा करना अनिवार्य है । **फार्म पाठ्यक्रम अनुसार स्नातक/स्नातकोत्तर अलग—अलग कक्षावार ऑनलाईन आवेदन क्रमांक से भिजवाना सुनिश्चित करें।** छात्र का नामांकन फार्म ऑनलाईन जमा होने के उपरांत यदि उसका प्रिंट आउट तथा नामांकन संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज नियत तिथि तक प्राप्त नहीं होते हैं/अपूर्ण प्राप्त होते हैं या छात्र अपात्र पाया जाता है या नियमों की पूर्ति नहीं की गई है तो संबंधित छात्र को परीक्षा फार्म भरने की अनुमति नहीं होगी एवं नामांकन निरस्त/प्रवेश पत्र रोकने/परीक्षा परिणाम रोकने जैसी

निरंतर :—3

कार्यवाही होती है तो इसके लिए संबंधित छात्र एवं महाविद्यालय जिम्मेदार होगा। नामांकन विभाग में नियत तिथि तक नामांकन फार्म एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में अध्ययन संस्था के साथ पत्र व्यवहार करने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है।

14. समस्त प्राचार्य अंतिम तिथि तक ऑनलाईन नामांकन फार्म भरने का इंतजार न करें। एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड का पोर्टल खुलते ही ऑनलाईन फार्म भरना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार के तकनीकी कारण, एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड से टॉप–अप संबंधी कारण अथवा अन्य कारण से हुए विलंब के लिए अंतिम तिथि में छूट नहीं दी जावेगी एवं संबंधित महाविद्यालय इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगें।

GENERAL FEES DETAILS (30/09/2018 तक)

Students Category	**Enrollment Fees**
Students of M.P.	RS.130/-
Students Of out side of M.P.& CBSC	RS.130/-+165/- =295/-
Students Of out side of India	RS.275/-+380/- =655/-

LATE FEES DATAILS (30/10/2018 तक)

Students Category	**Enrollment Fees**
Students of M.P.	RS.130/-+165/- =295/-
Students Of out side of M.P. .& CBSC	RS.295/-+165/- =460/-
Students Of out side of India	RS.275/-+380/- +380/=1035/-

कृपया निर्धारित तिथियों तक समस्त नियमित विद्यार्थियों के नामांकन कराना सुनिश्चित करें एवं आवेदन पत्र उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक संलग्नकों, प्रमाणपत्र एवं शुल्क सहित विश्वविद्यालय में जमा कराने का कष्ट करें।

नोट :–

01. प्रत्येक कक्षावार पृथक –पृथक फार्म एवं सूची तथा जमा राशि के योग का एक ON LINE जमा किए गए शुल्क का प्रिंटआउट संलग्न करना होगा। ऑनलाईन भुगतान सुविधा प्रत्येक महाविद्यालय को प्रदान की गई है।
02. भुगतान नहीं किए जाने पर नामांकन फार्म विश्वविद्यालय में जमा नहीं होगा। स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। **पूर्व में नामांकन प्राप्त विद्यार्थी नामांकन नं.पोर्टल में अवश्य डालें जिसका पोर्टल शुल्क रू.25/–+ निर्धारित जी.एस.टी.** देय होगा।
03. महाविद्यालय को mponline में KIOSK के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण का कोई शुल्क नहीं है। इसके उपरांत USER ID (यूसर आईडी) बनाना अनिवार्य है तदोपरांत सुविधा शुरू होगी।
04. जिन महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाईन सम्बद्धता/निरंतरता नहीं दी गई है, उन महाविद्यालयों का नामांकन नहीं हो पायेगा। अग्रिम कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय के अकादमी शाखा से संपर्क करके निराकरण कराएं।
05. महाविद्यालय यह भी सुनिश्चित करें कि अगर किसी विद्यार्थी का नामांकन अगर ऑनलाईन दिखाई नहीं दे रहा है तो वह ऐसे समस्त विद्यार्थी की एक सूची बनाकर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें या अपने किसी अधिकारी/कर्मचारी को भेजकर निराकरण कराएं। छात्र को स्वयं विश्वविद्यालय नहीं भेजे।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

निरंतर :–4

पृ. क्रमांक 4020 परीक्षा/2018 भोपाल, दिनांक 18/9/2018

प्रतिलिपिः—

1— प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ।
2— आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ।
3— प्राचार्य,समस्त समब्द्ध महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4— अधिष्ठाता ,छात्र कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5— कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपतिजी को सूचनार्थ ।
6— उपकुलसचिव गोपनीय शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7— जनसम्पर्क अधिकारी/कन्ट्रोल रूम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8— प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
9— प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइड की ओर सूचनार्थ ।
10— प्रभारी पूछताछ कक्ष की ओर सूचनार्थ।
11— संपादक, दैनिक समाचार पत्रों की ओर उनके लोकप्रिय समाचार पत्र में छात्रहित में प्रकाशित किये जाने हेतु निवेदन के साथ प्रेषित ।

उपकुलसचिव (परीक्षा)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल